न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 152/1984
देवी प्रसाद बनाम रामआसरे

29.01.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 241क2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 241क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादिनी सं0 1/1 श्रीमती दशरथदेई की मृत्यु दिनांक 18.09.2012 को हो गई है। उनके कानूनी वारिस उनके गणेशदत्त एवं लड़की जामवन्ती देवी हैं, जो पहले से पक्षकार मुकदमा हैं। प्रतिवादी द्वारा श्रीमती दशरथदेई के मृत्यु के संबंध में कोई सूचना दिनांक 02.01.2018 के पूर्व नहीं दी गयी। इस गलतफहमी में वरासत प्रार्थनापत्र देने में चूक हो गया। चूंकि वारिसान पहले से पक्षकार मुकदमा हैं, इसलिए अवेटमेन्ट या मियाद बाधा का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में परिणामी संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 243ग2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1/1 का देहान्त वादी के कथनानुसार दिनांक 18.09.2012 को हो गया है। दरख्वास्त वरासत समय से नहीं दिया गया है। दरख्वास्त कालाबाधित है। फरीकैन का मकान एक ही गांव में स्थित है। वादी को मृतका के देहान्त की जानकारी शुरू से ही है। अतः दरख्वास्त वादी निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 241क2 प्रतिवादिनी सं0 1/1 श्रीमती दशरथदेई की मृत्यु दिनांक 18.09.2012 को होने के फलस्वरूप वादपत्र में परिणामी संशोधन किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। जहां तक प्रतिवादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 241क2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 241क2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 19.02.2018 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती